"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2010—कार्तिक 6, शक 1932

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-40/2010/वा.कर (पं.)/पांच (65).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा धारा 79 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक-818-635-पांच-पृ.आ., दिनांक 24-02-1975 में और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी के उपशीर्ष छूट तथा निर्बन्धन के क्रमांक (49) के बाद निम्नानुसार क्रमांक (50) जोड़ा जाता है :—

(50) राज्य सरकार, श्री ललित तिवारी, सिविल लाईन, रायपुर को सिविल स्टेशन ब्लाक नम्बर 12, प्लाट नम्बर 3/1 व 2/3 रकबा 10650 वर्गफुट में से 5000 वर्गफुट आवंटित भूमि रुपये 2061/- वार्षिक भू-भाटक पर निष्पादित किये जाने वाले पट्टा विलेख के पंजीयन पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान करती है.

2. उक्त अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-40/2010/वा.कर (पं.)/पांच (65).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-40/2010/वा.कर (पं.)/पांच (65), दिनांक 28-10-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 28th October 2010

NOTIFICATION

No. F 10-40/2010/CT/(R)/V (65).—In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908) State Government hereby makes the following further amendment in to the notification No.818-635-V-S.R., dated 24-02-1975 published under section 79 of the said act, namely :—

AMENDMENT

In the said notification in "The Table of Registraion Fees", under the sub-heading "exemption and reduction" an item No. (50) shall be added after item No. (49), namely :—

(50) State Government hereby remits the registration fees chargeable on instruments of lease executed in favour of Shri Lalit Tiwari, Civil Line, Raipur pertaining to allotment of 5000 sqft of land out of 10650 sqft on a yearly rent of Rs. 2061 for plot No. 3/1 and 2/3, block No. 12, civil station, Raipur.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.